



- प्रतिबन्ध**
- ईडब्ल्यूएस बनाने का निर्माण/विकासकारों हेतु योजना के 10 प्रतिशत भूमि का संरक्षित प्रतिकल्पन के पक्ष परीक्षण दिनांक 28.11.2019 कराया गया है, विवरण अनुपालन करना होगा।
 - भूमि चार्ट-डिवीजन के संरक्षण में प्रतिकल्पन को कोई विनिर्देश नहीं होगा। विकासकारों केवल उरवी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकते हैं, जिस भूमि का स्थायित्व व अन्य विकासकारों कम्पनी के पास है।
 - यदिमान शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत प्लान के अनुसार आगरोपम अतिरिक्त होना।
 - सौंदर्य बर्तन प्लान व सर्वेक्षण प्लान के अनुसार स्तर पर भी विकास कार्य पूर्ण करना होगा।
 - स्ट्रक्चर ड्राइंग व डिजाइन प्रमाण -आई.ई.टी. सर्वेक्षण के विनिर्देशानुसार विमान के प्रोफेसर श्री जय एच.के. मुखर्जी द्वारा पत्रांक HET/CE/ACS/2018 Date-08* November 2019 के माध्यम से वेट करवाकर प्रस्तुत किया गया है, विकास अनुपालन करना होगा।
 - विकास उपखण्ड योजना को स्थानीय विधायक को हस्ताक्षरित करना होगा। हस्ताक्षरण तक रक-संख्या की सम्पूर्ण विनिर्देशी विकासकारों/अनुमोदक की होगी।
 - भूमि आगम पर प्रायः करना होगा।
 - सामर्थ्यता की आवश्यकता संरक्षण -LPPS/2019/1248/LCK/LUCKNOW/799/30 दिनांक 11.10.2019 के क्रम में विनियमन अनुपालन करना होगा।
 - रेगुलर हॉरिजेंटल का स्तर पर अधिमान शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
 - वेयर एंट्री का अनुपालन करना होगा एवं वेयर शैव कुलूक का विनियमन मुद्राणन करते हुए प्राधिकरण को पेशित करना होगा।
 - स्तर पर मानचित्र स्वीकृत संरक्षणी अनुपालन करना होगा।
 - यदि कोई संरक्षणी विनियम है तो प्रतिकल्पन द्वारा भी जाने पर अधिबन्ध जमा करना होगा।
 - वेयर एंट्री के प्रतिकल्पन का जलन करना होगा।
 - प्लान संरक्षण/संरक्षणी भूमि का विकास विनियमानुसार हस्ताक्षरण विवेक होने के पश्चात् किया जाना होगा। प्लान प्लान की स्वीकृति अनुपालन प्रकृति होगी।
 - यदि भविष्य में ऐसी कोई बात संरक्षण में आती है कि विकासकारों द्वारा कोई अन्य भूखण्ड कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिकल्पन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र रस्ता विस्तार माना जाएगा।

यदि मानचित्र प्लान प्रदान करने के बाद भी विकास प्रतिकल्पन 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिकल्पन परीक्षण स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्रतिकल्पन भूमि विवरण स्थायित्व के लिए रिहायत बना नहीं है।



CALCULATION FOR GREEN			
GREEN	NOS.	AREA (SQ. M)	TOTAL AREA (SQ. M)
GREEN-1	1	1245.84	1245.84
GREEN-2	1	315	315
TOTAL			1560.84

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect.



PROJECT
 PROPOSED SUBMISSION DRAWING OF GROUP HOUSING - 2 (LIG AND EWS) ON KHASRA NO- 3187,3186,3185,3184,3183,3182,3181,3178, 3177,3176,3175,3174(PART)AT OMAXE HI-TECH CITY, LUCKNOW.

DRAWING TITLE
 SUBMISSION DRAWING
 LANDSCAPE PLAN

DEALT BY _____ **CHECKED BY** _____

SCALE _____ **DATE**
 JULY, 19

CLIENT:-
 M/s GARV BUILDTECH PVT. LTD.
 M/s OMAXE LTD. LEAD MEMBER
 LSC-10 KALKAJI, NEW DELHI -110019

CONSULTANTS-
 OMAXE LTD.
 H/O: LSC-12, KALKAJI, NEW DELHI-110019.

ARCHITECT'S SIGNATURES _____ OWNER'S SIGNATURES _____

DRAWING NUMBER- DA-1/EWS&LIG/GH-2/SUB-02